प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1777/2024

1–कृष्णा साहू पिता समोधी साहू , आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी नवागाँव टेमरी, थाना–सिटी कोतवाली, जिला–मुंगेली, छत्तीसगढ़

–––अपीलार्थी

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, मुंगेली, जिला – मुंगेली, छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री पल्लव मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : सुश्री सुनीता साहू , पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

10/03/2025

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 06/2023 में दिनांक 19.09.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अधीन अपीलार्थी को निम्नानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया गया है:–

धारा के अधीन दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता 1860, **294**	3 माह का साधारण कारावास
भारतीय दण्ड संहिता 1860, **323**	06–06 माह का साधारण कारावास
भारतीय दण्ड संहिता 1860, **506 भाग– II**	2 वर्ष का साधारण कारावास
भारतीय दण्ड संहिता 1860, **307**	5 वर्ष का साधारण कारावास एवं 100/– रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
समस्त दण्डादेश साथ–साथ चलाए जाएंगे	

2. वर्तमान अपील के निपटान हेतु प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.10.2022 को पीड़ितों की कृषि भूमि के सामने स्थित शासकीय भूमि के उपयोग के संबंध में तीखी नोकझोंक के कारण अपराध घटित हुआ। वर्तमान अपीलार्थी उक्त भूमि का उपयोग अस्थायी रूप से अपनी कृषि उपज को इकट्ठा करने के लिए कर रहा था, जबकि पीड़ित, जिनकी भूमि शासकीय भूमि से लगी हुई है, उसे भूमि का उपयोग करने से रोक रहे थे। अपीलार्थी ने गाली–गलौज करते हुए बिरम बाई के पैर पर डंडे से वार किया तथा अनीता साहू के साथ भी मारपीट की, इस मध्य जलेश साहू ने बीच–बचाव किया, जिससे उसके सिर पर भी चोट आई। शिकायतकर्तागण द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस थाना मुंगेली में की गई, जिसके बाद अपराध क्रमांक 619/2022 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात, पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 294 व 506–II (3 बार) के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी की अपराध में सलिप्तता साबित करने हेतु, अभियोजन ने 13 साक्षियों का परीक्षण कराया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने प्रकरण में स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया। यद्यपि बचाव पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. पक्षकारों की सुनवाई करने तथा साक्षियों के साक्ष्य सहित अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन करने के उपरांत, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, मुंगेली ने सत्र विचारण क्रमांक 06/2023 में अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के पैरा क्रमांक 1 में वर्णित अनुसार सिद्धदोष व दण्डित किया है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि वर्तमान में अपीलार्थी की आयु लगभग 63 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क किया कि चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से पीड़ित को चोट पहुंचाने का कोई आशय नहीं था, अतः धारा 307 के अधीन अपराध नहीं बनता है और अभियुक्त/अपीलार्थी का कृत्य अधिकतम धारा 325 या 326 के अधीन आना चाहिए। उन्होंने तर्क किया कि कथित हथियार के जब्ती साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, अतः यह संदिग्ध हो जाता है और अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अंततः, उन्होंने तर्क किया कि यदि अपीलार्थी का दण्ड यथावत रखा जाता है, तो साक्ष्य, लगी चोट एवं प्रत्यक्ष कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए, जो दण्डादेश है वह तर्कहीन प्रतीत होती है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अतः अर्थदण्ड की राशि बढ़ाकर तथा आहतों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर दण्ड की अवधि को पूर्व ही भुगती गई अवधि तक कम किया जाना चाहिए। अपने तर्कों के

समर्थन में, उन्होंने **दाण्डिक अपील क्रमांक 3619/2023** में **शिवमणि व एक अन्य विरुद्ध राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया एवं तर्क किया कि आहत (अ.सा.–5) तथा डॉ. जे.पी. कौशिक (अ.सा.–13) के कथनों को विचार में रखते हुए, जिनकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से होती है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 307, 294, 323 व 506–II भारतीय दण्ड संहिता के अधीन सिद्धदोष किया गया है, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर पूर्णतः न्यायोचित हैं एवं इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. पक्षकारों के अधिवक्तागण की विस्तृत सुनवाई की तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विष्णु साहू (अ.सा.–2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीड़ित और अपीलार्थी के मध्य कुछ झगड़ा हुआ था तथा वे एक–दूसरे को गाली देने लगे, जिसके बाद कृष्णा ने बांस के डण्डे से बिरम के घुटने पर प्रहार किया, जब कृष्णा बिरम को मार रहा था, तो घायल जलेश बीच–बचाव करने आया, तथा डण्डा जलेश के सिर पर लग गया।

9. डॉ. अभिषेक कुमार शाह (अ.सा.–11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पीड़ित जलेश साहू को सात–आठ वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में सिर के अंदर चोटें आई थीं। ऐसी दुर्घटना के कारण उसके कपाल से पार्श्विका हड्डी निकल गई थी, साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि रक्त का थक्का जमना पहले हुई दुर्घटना का परिणाम हो सकता है।

10. डॉ. जे.पी. कौशिक (अ.सा.–13) जिन्होंने पीड़ित की चिकित्सकीय परीक्षण किया, उन्होंने कथन किया कि उन्हें पार्श्विका हड्डी पर 2x0.5x0.5 सेमी गहरी चोट, बाएं घुटने पर 0.5x0.5x0.5 सेमी का घाव, दाहिने कलाई पर 1x0.5x0.5 सेमी का घाव मिला। आहत को लगी चोट गंभीर प्रकृति की थी।

11. इस प्रकार साक्षी(अ.सा.–5) डॉ. अभिषेक कुमार शाह (अ.सा.–11) और डॉ. जे.पी. कौशिक (अ.सा.–13) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त/अपीलार्थी ही है जिसने पीड़ित को बांस के डण्डे से मारा, जिसके फलस्वरुप आहत को पार्श्विका हड्डी तथा अन्य गंभीर चोटें आईं। चिकित्सक के कथन के अनुसार, आहत को लगी चोट गंभीर प्रकृति की थी।

12. अब प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि उचित है?

13. इस स्तर पर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 पर विचार करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: –

> **"307.हत्या करने का प्रयत्न –**जो कोई किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमनि से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो '[आजीवन कारावास] से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है ।
>
> **आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न–**जब कि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो, तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के प्रकरण में साबित किए जाने वाले आवश्यक घटक हैं:

> (i) यह कि किसी मानव की हत्या का प्रयत्न किया गया था ;
>
> (ii) यह कि ऐसी मृत्यु अभियुक्त के कृत्य के कारण या उसके फलस्वरूप होने का प्रयत्न किया गया था; अथवा
>
> (iii) कि ऐसा कृत्य हत्या कारित करने के आशय से किया गया था; या यह कि ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से किया गया था:
>
> (क) अभियुक्त को ज्ञात था कि इससे मृत्यु होने की संभावना है; या (ख) प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था, या अभियुक्त ने ऐसा कृत्य करके मृत्यु कारित करने का प्रयत्न किया था जो उसे इतना आसन्न रूप से जोखिम ज्ञात था कि इससे संभवतः (क) मृत्यु कारित हो सकती है, या (ख) ऐसी शारीरिक उपहति हो सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है,अभियुक्त के पास ऐसी मृत्यु या उपहति कारित करने का जोखिम उठाने का कोई बहाना नहीं था।

15. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 और 308 हत्या के प्रयत्न और आपराधिक मानववध कारित करने के प्रयत्न के अपराधों से संबंधित है। आपराधिक मानववध कारित करने का प्रयत्न कारावास से दण्डनीय अपराध है, और यदि इसे धारा 308 के अधीन स्पष्ट रूप से अपराध नहीं माना जाता है, तो यह धारा 511 के अधीन आएगा। कोई व्यक्ति किसी विशेष अपराध को करने का प्रयत्न करने का अपराध तब करता है, जब वह उस अपराध को करने का आशय रखता है और उस आशय से उस अपराध को करने की दिशा में कोई कृत्य करता है। यह सिद्धांत अपराध करने का प्रयत्न करने के अपराध को बनाने वाले सभी कृत्यों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह विशेष प्रयत्न सामान्य धारा 511 के अधीन आता हो या किसी विशेष प्रावधान के अधीन आता हो, क्योंकि ऐसे प्रयत्न के लिए पृथक दण्ड स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति धारा 308 के अंतर्गत अपराध तब करता है जब उसका आशय आपराधिक मानववध कारित करने का होता है और उस आशय के अनुसरण में वह उस अपराध को करने की दिशा में कोई कृत्य करता है, चाहे वह कृत्य अंतिम से पूर्व का कृत्य हो या नहीं। धारा 307 और धारा 308, भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि वे किसी निश्चित अपराध कारित करने के प्रयत्न के लिए दण्ड का प्रावधान करते हैं और जबकि धारा 307, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय हत्या के अपराध से जुड़ी है और धारा 308, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, भाग–I के अधीन दण्डनीय आपराधिक मानववध के अपराध से जुड़ी है, धारा 308 ऐसे प्रकरण को आच्छादित करती है जहां कृत्य के फलस्वरुप मृत्यु कारित नहीं हुई है, परंतु यदि इसके फलस्वरुप मृत्यु हुई है, तो अपराध आपराधिक मानववध के समान होगा, जिसका अभिप्रेत है कि धारा 308, भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधान ऐसे आशय या ज्ञान सहित और ऐसी परिस्थितियों में कृत्य करने की परिकल्पना करता है कि यदि उस कृत्य से मृत्यु हुई है, तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। उस प्रकृति के प्रयत्न के फलस्वरुप चोट लगना जरूरी नहीं है। यह आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न है जो धारा 308, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त यदि अभियुक्त का आशय मृत्यु या कोई शारीरिक चोट पहुँचाने का नहीं है, जिसके विषय मे उसे ज्ञात है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है या यहाँ तक कि ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो धारा 308, भारतीय दण्ड संहिता लागू होगी, यदि वास्तव में मृत्यु नहीं होती है।

16. अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने क्षणिक आवेश में आकर पीड़ित (जब जलेश साहू बीच–बचाव कर रहा था) के पार्श्व भाग पर बांस के डण्डे से चोट पहुंचाई और इस अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता केवल डण्डे से एक वार करने तक ही सीमित थी। अपीलार्थी ने उपरोक्त कृत्य किया जिसके लिए वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 के अधीन दण्डनीय कृत्य करने का दोषी होगा। अपीलार्थी की वर्तमान आयु 63 वर्ष है। अतः भारतीय दण्ड संहिता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की धारा 307/34 के अधीन अपीलार्थी के दण्डादेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित किया जा सकता है।

17. तदनुसार, अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है, तथापि, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 के अधीन सिद्धदोष किया जाता है तथा उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

18. जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506–II के अधीन दण्ड का संबंध है, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 2 वर्ष की कारावास का दण्ड अत्यधिक प्रतीत होता है, अतः, इस न्यायालय का अभिमत यह है कि न्याय के हित में, उस पर अधिरोपित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506–II के अधीन दण्डादेश को कम कर 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। दोनों दण्डादेश साथ– साथ चलेंगी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 व 323 के अधीन दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है। यद्यपि, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड यथावत रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अपीलार्थी जेल में निरुद्ध है और उसे उपरोक्त संशोधित दण्ड भुगतना होगा।

20. दाण्डिक अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

21. इस आदेश की एक प्रतिलिपि तथा मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ अविलंब प्रेषित किए जाएं।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**